एक नजर में

भावांतर योजना के तहत सोयाबीन आज से खरीदी जाएगी

इंदौर. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर से प्रारंभ होगी. किसान अपने नजदीकी मण्डी/उपमण्डी में जाकर फसल विक्रय कर सकेंगे. इंदौर संभाग के सभी खरीदी केन्द्रों में सोयाबीन खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. किसानों को भावान्तर का पंजीयन क्रमांक रसीद और अपना आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है. खरीदी केन्द्रों पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 24 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगा. सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5328 रुपए घोषित की गई है। योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा. फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर भाव में अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत सभी किसानों को पारदर्शी और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इंदौर संभाग के सभी मंडियों और उप मंडियों में तकनीकी एवं मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. मंडी स्तरीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है. प्रवेश गेट और प्रांगण में सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है. प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में हेल्प डेस्क भी बनाये गये हैं. भावांतर योजना के तहत इस वर्ष किसानों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए अपने रकबे का पंजीयन कराया है. इंदौर संभाग के आठों जिलों में कुल 432 पंजीयन केन्द्रों पर 1,45,188 किसानों ने सोयाबीन भावांतर योजना में अपना पंजीयन कराया है, जिसमें अकेले इंदौर में ही 46,061 किसानों ने पंजीयन कराया है.

तेलीखेड़ा में गंभीर नदी घाट पर 26 को होगी भव्य आरती

महू. तेलीखेड़ा स्थित गंभीर नदी के गोशाला घाट पर इस वर्ष भी भव्य गंभीर आरती का आयोजन किया जाएगा. यह पावन कार्यक्रम 26 अक्टूबर को शाम 6.30 बजे कई संतों के सानिध्य एवं हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा. यह जानकारी कार्यक्रम के आयोजक जयेश यादव ने दी. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे. इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायिका जिया परमार अपनी मधुर आवाज में मां गंभीर की संगीतमय आराधना प्रस्तुत करेंगी. यादव ने कहा कि गंभीर नदी आरती का यह आयोजन बीते वर्षों की तरह इस बार भी श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का संगम बनकर समाज को नदी संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा.

श्रमिकों की आयु गणना के लिये नवीन निर्देश

इंदौर. मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की आयु गणना के लिये श्रम विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये हैं. अब आयु गणना के लिये आधार कार्ड के आधार पर शब्द विलोपित किया गया है. आयु के प्रमाण के लिये परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा. इसी तरह जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रमाण पत्र मान्य होगा. श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव बसंत कुर्रे ने बताया है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के न होने पर उस चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो का प्रमाण पत्र मान्य होगा. उक्त चारों दस्तावेजों अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य आयु संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर आयु संबंधी निर्णय लिया जायेगा.

श्रमिकों को बोनस भुगतान जरूरी

इंदौर. श्रम विभाग द्वारा राज्य में संचालित समस्त कारखानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे संस्थान जहां बीस या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम है, उन्हें बोनस भुगतान किया जाना जरूरी है. अधिनियम के अनुसार हर लेखा वर्ष में किए गए कार्य के बोनस का भुगतान आगामी लेखा वर्ष में 30 नवंबर तक किया जाना चाहिए. बोनस की राशि 7000 रुपये अथवा 8.33% जो भी अधिक हो वह देय होगी. उप श्रम आयुक्त आशीष पालीवाल ने बताया है कि उक्त बोनस का भुगतान न होने की स्थिति में अपनी शिकायत संबंधित जिला श्रम कार्यालय में, एलसीएमएस पोर्टल पर, शासन द्वारा संचालित सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 181 पर अथवा श्रम विभागीय टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दर्ज करवा सकते हैं.

जिन हाथों में चाकू था, उन्हें किताबें थामने की दी सीख

- **विजय नगर पुलिस का नवाचार : बाल अपचारियों को दिखाया सुधार का रास्ता**
- **कहा- अब पढ़ाई में नाम कमाओ, 10वीं पास करोगे तो मिलेगा इनाम**

नव भारत न्यूज

इंदौर. विजय नगर पुलिस अब अपराधियों के साथ कुछ नवाचार करने के मूड में दिखाई दे रही है. दीपावली पर जिन हाथों में चाकू था, अब उन्हीं से किताबें थामने की सीख दी गई. विजय नगर थाना उन बाल अपराधियों के लिए सीख का केंद्र बन गया, जहां उन्हें अपराध की गलियों से निकालकर पढ़ाई की राह पर लौटाने की कोशिश की जा रही है.

दरअसल, दीपावली के दौरान शहर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं के बाद विजय नगर पुलिस ने पहले ही क्षेत्र के शातिर और सक्रिय बदमाशों की सूची तैयार कर ली थी. उन्हीं में से कुछ को थाने बुलाया, जिनमें तीन बाल अपचारी भी शामिल थे. थाना प्रभारी चंद्रभाल सिंह पटेल ने उनसे पूछताछ के दौरान उनके हालात और पढ़ाई की जानकारी ली. इस दौरान थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने तीन नाबालिग आरोपियों से कहा- अगर अब पढ़ाई में मेहनत करोगे और अच्छे अंक लाओगे, तो मैं खुद इनाम दूंगा.

अपराध छोड़ शिक्षा की ओर- पटेल की यह सीख सुनकर दोनों किशोरों ने अपराध से दूरी बनाकर पढ़ाई करने का वादा किया. थाने के स्टॉफ ने बताया कि यह संभवतः पहला मौका है, जब किसी थाना प्रभारी ने नाबालिग आरोपियों को अपराध छोड़ने के बदले शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर इनाम देने की पहल की है.

सुधार का मौका देने से भी रुक सकता है अपराध

एक 16 वर्षीय किशोर ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में पढ़ता है और अब दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहता है. इस पर पटेल ने कहा कि 11वीं पास होने पर उसे इनाम मिलेगा. वहीं, दूसरे किशोर 16 वर्षीय बालक के 10वीं में 54 प्रतिशत अंक थे, उसे भी बेहतर प्रदर्शन करने पर पटेल ने इनाम देने की घोषणा की. थाना प्रभारी पटेल इन दिनों इलाके के बदमाशों से डोजियर भरवाने और निगरानी की मुहिम चला रहे हैं. उनका कहना है कि सिर्फ सख्ती से नहीं, सुधार की गुंजाइश देकर भी अपराध रोका जा सकता है.

भारत माता के सपूतों की गाथा प्रदर्शित करती झांकी आकर्षण का केंद्र

- **महू के समाजसेवी और कलाकार अशोक धोड़पकर ने बनाई है यह झांकी**

महू. प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दिपावली के पावन अवसर पर महू के वरिष्ठ समाजसेवी और प्रसिद्ध कलाकार अशोक धोड़पकर द्वारा बनाई गई झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस झांकी में भारत माता के वीर सपूतों की गाथा को आकर्षक तरीके से पिरोया गया है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष में किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को दर्शाया गया है. इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य संतों के लोक जागरण कार्यों की भी जानकारी प्रदर्शित की गई है. नगर के सभी नागरिक इस झांकी का अवलोकन कर कलाकार की सराहना कर रहे हैं.

भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर बहनों ने की लंबी उम्र की कामना

धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का पर्व

महू. भाई-बहन के अटूट प्रेम को समर्पित भाई दूज का त्योहार गुरुवार को महू में धूमधाम से मनाया गया. बहनों ने भाई को तिलक लगाकर भगवान से उनकी लंबी उम्र, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की, वहीं भाइयों ने भी बहन को रक्षा का वचन देते हुए उन्हें शगुन के रूप में पैसे व उपहार दिए.

भाई दूज को लेकर गुरुवार सुबह से ही क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई थी. बहनों ने सुबह स्नान ध्यान करने के बाद घरों में सुंदर चौक तैयार किया और बहनों ने भाइयों को मंगल तिलक लगाकर और मिष्ठान खिलाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की. इस अवसर पर बहनों ने गरी का गोला और मिठाई भी भेंट की. इसके बदले भाइयों ने बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उन्हें शगुन के रूप में पैसे व उपहार दिए. जिन भाइयों की बहनें अपनी ससुराल में थी, वे अपनी बहन की ससुराल पहुंचे और वहीं बहन ने उनका मंगल तिलक लगाकर भाईदूज का पर्व मनाया.

ट्रैफिक हेल्पलाइन बनी इंदौरियों की 'सड़क सखी'

- **एक माह में मिली 590 शिकायतें, 564 का मौके पर ही समाधान**

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई इंदौर ट्रैफिक हेल्पलाइन नागरिकों के लिए कारगर साबित हो रही है. इस पर अब तक बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. हेल्पलाइन नंबर पर एक माह में मिली 590 शिकायतों में से 564 का तुरंत मौके पर ही समाधान कर दिया गया.

पुलिस आयुक्त के निर्देशन और ट्रैफिक डीसीपी के मार्गदर्शन में सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की गई इस पहल के तहत पिछले एक माह में 590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 564 का तत्काल निराकरण कर दिया. आज हेल्पलाइन पर पांच शिकायतें दर्ज हुईं, इनमें कार के सनरूफ के दुरुपयोग, बीआरटीएस लेन में वाहन चलाने, हिंदी नंबर प्लेट, द्वारिकापुरी में झगड़े और दुकानों के बाहर अवैध पार्किंग जैसी समस्याएं शामिल थीं. ट्रैफिक पुलिस ने तीन मामलों का तत्काल समाधान कर चालानी कार्रवाई की, जबकि शेष दो शिकायतों पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी.

लोगों में बढ़ी जागरूकता, मजबूत हुई पुलिस की साख- वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हेल्पलाइन शुरू होने के बाद से नागरिकों में जागरूकता बढ़ी है और पुलिस की साख भी मजबूत हुई है. अधिकारी बताते हैं कि अब लोग सीधे ट्रैफिक हेल्पलाइन पर संदेश भेजकर समस्या बताने लगे हैं, जिससे मौके पर कार्रवाई करना आसान हो गया है. सड़क सुरक्षा में आम नागरिकों की भागीदारी ही सबसे अहम है. समय पर दी गई सूचना से न केवल दुर्घटनाओं पर रोक लगती है, बल्कि अव्यवस्थित पार्किंग और नियम उल्लंघन पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों/सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री जीवा, श्रीमती पूजा कृषि भूमि (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10667649)	मकान संख्या 04, पीएच संख्या 14, वार्ड संख्या 02, दशा माता मंदिर, खेरदा, खेरदा, दौडवा, छिरवा, तहसील और जिला- खरगौन, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 451113 का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्र प्रवेश (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 1250.00, 500.00, 635.00	रु. 455368/- (रु. चार लाख पचपन हजार तीन सौ अड़सठ मात्र)	04-04-2025	18/10/2025
श्री कमलचंद श्रीमती आशा बाई कमल पंचोर कंस्ट्रक्शन (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10286693)	पटवारी हल्का संख्या 34, खसरा संख्या 430/2, गणेश तलाई, छैगांव माखन, खंडवा, मध्य प्रदेश 450001 - भारत का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 375.00, 300.00, 375.00	रु. 247977/- (रु. दो लाख सैंतालीस हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र)	16-06-2025	18/10/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **शाखा आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 24-10-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय-रिटर्निंग अधिकारी, संगीता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

पंजीकृत पता - 27 प्रेस काम्पलेक्स ए.बी. रोड इन्दौर

(पंजीयन कमांक /डीआर/आय.डी.आर./198 दिनांक 15.01.1977)

क्रमांक /निर्वाचन/2025/ इन्दौर दिनांक 22.10.2025

विशेष आमसभा सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 06.11.2025 को प्रातः 09.30 बजे से स्थान संस्था कार्यालय परिसर 27 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड इन्दौर पर आयोजित की गई है। जिसमें संस्था की उपविधि क्र. 29 अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन किया जावेगा।

निर्वाचन कार्यक्रम

1. नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तिथि दि. 29.10.2025 समय दोप.12.00 से 2.00 बजे तक
2. नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि दिनांक 30.10.2025 समय दोपहर 12.00 बजे से जांच पूर्ण होने तक ।
3. नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि दिनांक 31.10.2025 समय दोपहर 12.00 से 2.00 तक स्थान-प्रशासकीय संकुल कक्ष नं. 303 सेटेलाईट भवन कलेक्ट्रोरेट परिसर इन्दौर

आमसभा की सूचना एवं विस्तृत निर्वाचन कार्यक्रम समस्त सदस्यो को संस्था अभिलेखों में दर्ज पते पर डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

(आय.सी.वर्मा)
उप अंकेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी
संगीता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

कार्यालय रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

दूरभाष/ फैक्स क्र.- 0731-2419771

क्रं-आरएपीटीसी / क्रा.मा./ पी-1248/2025 दिनांक: 22.10.2025

-: ई-निविदा एवं सीलबंद आमंत्रण सूचना :-

रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर में वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रशासकीय भवनों की मरम्मत हेतु योजना क्रमांक 9545 (विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण) मद के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को कराया जाना है। कार्य कराने हेतु आवश्यक जानकारी एवं टेण्डर फार्म, निर्माता फर्मों के लिये रूपये 1,000/- (एक हजार रूपये) 0055 पुलिस विविध प्राप्तियां शीर्ष में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष से जमा कर https://mptenders.gov.in एवं www.mppolice.gov.in प्राप्त किया जा सकता है।

1. ऑन लाइन ई-निविदा केवल वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर तथा सीलबंद निविदा हार्ड कापी में तकनीकी एवं व्यवसायिक निविदा कार्यालय में निर्धारित समय में जमा की जा सकेगी।
2. ऑन-लाइन निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि **13/11/2025 समय 1200 बजे** तक है।
3. तकनीकी बिड खोलने की तिथि **14/11/2025 समय 1200 बजे** ।

4- व्यवसायिक बिड दस्तावेज परीक्षण उपरांत खोली जावेगी।

सेनानी
जी -20515/25 आरएपीटीसी, इंदौर

वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे

इंदौर. डॉ. अंबेडकर नगर महू की विधायक सुश्री उषा ठाकुर के विशेष प्रयासों से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पात्रतानुसार नि:शुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. यह शिविर कलेक्टर शिवम वर्मा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 29 अक्टूबर को जनपद पंचायत परिसर, डॉ. अंबेडकर नगर महू में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जायेगा. परीक्षण शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण- जैसे कि श्रवण यंत्र, बैसाखी, ट्राईपॉड, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, कमोड चेयर, चेयर स्टूल, फुट केयर यूनिट, स्पाइन सपोर्ट, सर्वाइकल कॉलर, लम्बो सेकल बेल्ट आदि प्रदान करने हेतु चिन्हांकित किया जायेगा. शिविर में आवश्यक दस्तावेज - आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/सरपंच/तहसीलदार या अन्य राजस्व विभाग अधिकारी द्वारा जारी प्रार्थी को आमदनी 15,000 रूपये मासिक या इससे कम हो, आवेदक का फोटो, समग्र आईडी आदि साथ लेकर शिविर स्थल पर पात्रता परीक्षण हेतु उपस्थित होना होगा. शिविर में विधायक सुश्री उषा ठाकुर द्वारा संबल योजना, पेंशन योजना तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे.

यूको बैंक UCO BANK

(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)

फोन: 0731-2438331, 2438305

फैक्स: 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी दिनांक 28.11.2025

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)

सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अर्न्तगत

सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27.11.2025 को सायकाल 4 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है

सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **युको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	देवास शाखा	मेसर्स अजय इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रो.: श्री अजय माली पिता राजेश माली, श्रीमती उषा माली पति राजेश माली, जमानतदार: श्री राजेश माली पिता भेरुलाल माली	10,52,462.04 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	10.06.25 / 03.10.25	पता नहीं	आवासीय मकान संपत्ती का पता: मकान नं. 08, पुराना नया नं. 9, रज्जब अली मार्ग, देवास सिनियर, देवास (म.प्र.) 455001, **क्षेत्रफल (मापना): 664 वर्गफीट, संपत्ती स्वामीगण: श्रीमती उषा माली पति राजेश माली**, पंजीकृत विक्रय पत्र नं. सेल डीड क्रं. 2468, बुक नं. ए1, ग्रंथ 6321, पेज नं. 5 (74/78) दिनांक 30.08.2007, उप पंजीयक कार्यालय देवास, जिला देवास (म.प्र.) 450001, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** श्री राजाभाऊजी के माकन का भाग, **पश्चिम:** सरकारी गली, **उत्तर:** सालगराम सोनीजी का मकान, **दक्षिण:** पुरषोत्तम जी जोशी का मकान एवं शामलाती गली	रु. 20.70 लाख / रु. 2,07,000	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
2.	पिथमपुर शाखा	श्री जितेन्द्र राठौर पिता गेंदालाल राठौर, श्रीमती भावना राठौर पति श्री जितेन्द्र राठौर	10,60,623.47 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	26.03.25 / 18.07.25	पता नहीं	प्लाट क्रं. ईएम-268, इंडस डाउन फेस-2, पिथमपुर, जिला धार (म.प्र.) 454775 पर स्थित 420 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली गृह संपत्ति, **संपत्ति स्वामी श्री जितेन्द्र राठौर पिता श्री गेंदालाल राठौर**, पंजीकृत विक्रय विलेख क्रं. ए1/1188, दिनांक 11.06.2014 देखें, उप पंजीयक कार्यालय धार जिला धार (म.प्र.) 454001, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** कॉलोनी रोड, **दक्षिण:** कॉलोनी की अन्य भूमि, **पूर्व:** प्लाट नं. ईएम-267, **पश्चिम:** प्लाट नं. ईएम-268 (पश्चिमी भाग)	रु. 14.60 लाख / रु. 1,46,000	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
3.	महू शाखा	श्रीमती आरती पति मनोज पटेल	8,24,369.80 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.01.25 / 18.07.25	पता नहीं	व्यवसायिक परिवर्तित भूमि सर्वे नं. 181/3/1/3 रकबा 0.0558 हेक्टर, ग्राम नेउ गुराड़िया, तहसील महू, इन्दौर भूमि पर स्थित पोल्ट्री फार्म का साम्यिक बंधक, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** रोड, **दक्षिण:** भूमि सर्वे नं. 189/3/1/3, **पूर्व:** भूमि सर्वे नं. 189/3/1/3, **पश्चिम:** भूमि सर्वे नं. 189/3/1/3	रु. 39.10 लाख / रु. 3,91,000	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
4.	संयोगितागंज शाखा, इन्दौर	श्रीमती फरहत मलिक पति मुतर्जा मलिक एवं श्रीमती सलमा मलिक पति सिराजुद्दीन मलिक	34,01,408.46 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	07.05.25 / 11.09.25	पता नहीं	संपत्ती सभी भाग जिसमें प्रकोष्ठ क्रं. 305, तीसरी मंजिल द ग्रेस, 1-2 किबे कम्पाउण्ड, मधु मिलन चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) पिन 452001, **क्षेत्रफल 117.47 वर्गमीटर, मालिक: श्रीमती सलमा मलिक पति सिराजुद्दीन,** रीलीज डीड क्रं. MP179132017A1212577 दिनांक 26.04.2017 सब रजिस्ट्रार ऑफिस, इन्दौर (म.प्र.), **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्रकोष्ठ क्रं. 303, **दक्षिण:** प्लाट नं. 16-17 किबे कम्पाउण्ड, **पूर्व:** प्रकोष्ठ क्रं. 304, **पश्चिम:** प्लाट नं. 3 किबे कम्पाउण्ड	रु. 88.91 लाख / रु. 8,89,100	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	28.11.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 26.11.2025 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331, 2438305** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 24.10.2025 — **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**